मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2000 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 10 मार्च, 2000 (फाल्गुन 20, 1921)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

डॉ. रामचन्द्र सिंहदेव, जल संसाधन मंत्री, मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) की धारा 43 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार जल संसाधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 32-1-99-मध्यम-इकतीस, दिनांक 24 नवम्बर, 1999 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री लक्ष्मीकांत शर्मा, मुंशीलाल, नरेन्द्र बिरथरे, सदस्य, प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर सामान्य प्रशासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री शिवरतन शर्मा, अजय चन्द्राकर, सदस्य, रायपुर जिले में स्थित एल. एण्ड टी. सीमेंट संयंत्र के प्रबन्धन द्वारा आदिवासियों की भूमि खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) डॉ. आई.एम.पी.वर्मा, सदस्य, सतना जिले में शहीद परिवारों के लिए राज्य शासन द्वारा की गई घोषणाओं का पालन न होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री लालसिंह राणावत, सदस्य, उज्जैन जिले के नागदा स्थित भारत कॉमर्स उद्योग द्वारा श्रमिकों का शोषण किये जाने की ओर राज्यमंत्री श्रम का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) सर्वश्री नरेन्द्र बिरथरे, लालसिंह आर्य, मुन्ना सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र की इकाईयों द्वारा प्रदूषित जल छोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्रीमती सुधा जैन, सदस्य, सागर नगर स्थित ऐतिहासिक तालाब का रख रखाव न होने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(7) सर्वश्री लक्ष्मण सिंह गौड़, लक्ष्मीकांत शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, भोपाल स्थित बरकतउल्ला विश्वविद्यालय छात्रावास एवं रायपुर स्थित पॉलिटेक्निक छात्रावास में छात्राओं की मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री महेश तिवारी, सदस्य, कवर्धा जिले के ग्राम पइलपारा के सरपंच को आत्महत्या के लिए मजबूर किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री रामपाल सिंह, सदस्य, रायसेन जिले की बरेली तहसील के ग्रामों में नहर से सिंचाई हेतु पानी न मिलने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) सर्वश्री लक्ष्मण सिंह गौड़, कैलाश विजयवर्गीय, हिम्मत कोठारी, सदस्य, शाजापुर जिले के पास राज्य सड़क परिवहन निगम की बस को लूटे जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य, छत्तीसगढ़ अंचल में मजदूरों का पलायन होने से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) सर्वश्री लक्ष्मीकांत शर्मा, लक्ष्मण सिंह गौड़, नरेन्द्र बिरथरे, सदस्य, छतरपुर नगर के अन्तर्गत शासकीय भूमि को भू-माफिया द्वारा बेचे जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) सर्वश्री कैलाश विजयवर्गीय, बृजमोहन अग्रवाल, कुंवर तेजसिंह सेंधव, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के बल्देवगढ़ नगर के समीप एक व्यक्ति की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में अरवा चावल की लेवी अनिवार्य किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्यमंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) श्री लीलाराम भोजवानी, सदस्य, राजनांदगांव जिला मुख्यालय में विकलांगों को ट्रायसायकल का वितरण न किये जाने की ओर राज्यमंत्री समाज कल्याण का ध्यान आकर्षित करेंगे.